न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1245/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–3–1995 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 88/1992–93/निगरानी.

....

राधारमण पिता नारायण जी अग्रवाल,
निवासी 7/1, साउथ तुकोगंज
इंदौर म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–जीनिंग वाली जमीन बचाओ
संघर्ष समिति के सदस्यगण
निवासी ग्राम सुसारी तहसील कुक्षी जिला धार
2–कलेक्टर जिला धार म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

:: आदेश ::

(आज दिनांक 17/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–3–1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि जीनिंग वाली जमीन बचाओ संघर्ष समिति द्वारा कलेक्टर जिला धार के समक्ष दिनांक 23–3–1990 को एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम सुसारी की भूमि सर्वे नम्बर जीनिंग वाली जमीन बचाओ संघर्ष समिति द्वारा कलेक्टर जिला धार के समक्ष दिनांक 23–3–1990 को एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम सुसारी की भूमि सर्वे नम्बर 3/7 क्षेत्रफल 5.949 हेक्टेयर भूमि भूतपूर्व इंदौर रियासत द्वारा जीनिंग फेक्ट्री के उपयोग में ही ली जावेगी । इस संबंध भूमि का

उपयोग जीनिंग फेक्ट्री के लिये नहीं किया जा रहा है एवं भूमि को विक्रय किये जाने की चेष्टा की जा रही है अतः भूमि शासकीय भूमि घोषित की जावे । इस शिकायत के आधार पर कलेक्टर जिला धार द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी को जॉच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–8–1990 को एक प्रतिवेदन द्वारा आवेदक को एक कारण बताओ सूचना पत्र इस आशय का जारी किया गया कि आवेदक द्वारा न्यायालय को गुमराह कर शासकीय भूमि का व्यपवर्तन करवा दिया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश स्वमेव निगरानी में क्यों न लिया जावे । दिनांक 17–4–1990 को आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि उसके स्वामित्व की होने का कथन किया जाकर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण में जॉच उपरांत दिनांक 22–5–1993 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–1988 निरस्त किया जाकर पटटा निरस्ती की कार्यवाही हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने का आदेश प्रदान किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–3–1995 को आदेश पारित कर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–2–1999 द्वारा निगरानी स्वीकार की गई थी । जिसको डब्ल्यू.पी. नम्बर 507/2000 में शासन ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी । माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मण्डल का दिनांक 12–2–1999 का आदेश निरस्त कर व्यपवर्तन के बिन्दु पर विचार हेतु प्रत्यावर्तित किया गया ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि इंदौर रियासत द्वारा जगन्नाथ नारायण साकिन इंदौर को जीनिंग फैक्ट्री के लिये पटटे पर दी गई थी ,

ऐसा कोई पटटा अस्तित्व में ही नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही फर्जी मानने में रिकार्ड के विपरीत कार्यवाही की गई ।

(2) अनावेदक कमांक 1 की शिकायत के आधार की गई कार्यवाही अवधि बाह्य है । अतः ऐसी शिकायत के आधार पर की गई कार्यवाही अवैधानिक है ।

(3) व्यपवर्तन के प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 ने भाग लिया था उस प्रकरण में पारित आदेश से यदि वे परिवेदित थे तो वे अवधि में अपील/निगरानी आदि प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करते हुये लगभग दो साल पश्चात् शिकायत करके व्यपवर्तन के आदेश निरस्त करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश मात्र संभावनाओं के आधार पर होकर काल्पनिक है प्रकरण में अंशमात्र भी प्रमाण नहीं है कि आवेदक अथवा उनके पूर्वा अधिकारी को विवादित भूमि होलकर राज्य द्वारा पटटे पर दी गई थी ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में वर्ष 1961 से दर्ज है तथा आवेदक के स्वत्वों की जॉच पूर्व में की जा चुकी है जिसमें प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व में मानी गई है ।

(6) नामान्तरण पंजी में किये गये इंद्राज के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ।

(7) विवादित भूमि कभी भी इंदौर रियासत द्वारा विशेष प्रयोजन जीनिंग फेक्ट्री के लिये शर्तो पर नहीं दी गई थी । भूमि शासकीय होने का कोई प्रमाण नहीं है फिर भी भूमि शासन में वेष्ठित करने हेतु एवं पटटा निरुस्त करने हेतु शासन को लिखे जाने का आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वैधानिक एवं उचित बताते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। डब्ल्यू.पी. 507/2000 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–2006 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च

न्यायालय के निर्देशानुसार इस निगरानी में केवल व्यपवर्तन के बिन्दु पर आदेश पारित किया जा रहा है ।

6/ प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक के पूर्व भूमि धारक को प्रश्नाधीन भूमि शासन से पटटे पर विशेष उपयोग हेतु (जीनिंग फैक्ट्री स्थापित करने के लिये) दी गई थी, ऐसी स्थिति में उसे दूसरे उपयोग के लिये व्यपवर्तन नहीं किया जा सकता था । प्रश्नाधीन भूमि पटटे पर दिये जाने के संबंध में अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष पटटे तथा सम्बत् 2015 लगायत सम्बत् 2019 के खसरे की प्रति भी पेश की गई है जिसका कोई खण्डन नहीं किया गया है । इस साक्ष्य को प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यपवर्तन की अनुमति देते समय अनदेखा किया जाना स्पष्ट है । स्पष्ट है कि जहॉ तक व्यपवर्तन के बिन्दु का प्रश्न है इस बिन्दु पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के व्यपवर्तन अनुमति देने संबंधी आदेश दिनांक 28–6–1988 को निरस्त करने में कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । प्रकरण में जहॉ तक पटटे निरस्ती की कार्यवाही का प्रश्न है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में उस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है तथापि इस आदेश की प्रति आयुक्त / कलेक्टर / सचिव, राजस्व को भेजी जावे कि वैधानिक स्थिति का परीक्षण कर इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–3–1995 स्थिर रखा जाता है । इस आदेश की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु आयुक्त / कलेक्टर / सचिव, राजस्व को भेजी जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर